38

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

अपील संख्या 10/2021

मैसर्स दुर्गा कंस्ट्रक्शन कम्पनी खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये पार्टनर

1. रिछपाल सिंह पुत्र टोडाराम जाति जाट निवासी खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. भंवरलाल पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी करीरों की ढाणी तन बानूड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–अपीलाण्टस–

बनाम

1. पप्पूराम पुत्र खींवाराम जाति जाट निवासी बिजारणियों की ढाणी तन चिड़ासरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. हरलाल उर्फ हरिसिंह पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी बिजारणियों की ढाणी तहसील धोद जिला सीकर
3. तहसीलदार, सीकर

– रेस्पोडेण्टस –

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थन भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामा0 आदेश 21.2.2021 ग्राम पंचायत गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर नामा0 संख्या 2375 कृषि भूमि खसरा नम्बर 1187/304, 303,1186/304 ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर

उपस्थित – वकील अपीलाण्टस– श्री प्रभातीलाल
वकील रेस्पोडेण्टस – श्री राकेश

निर्णय

दिनांक : 21/10/2022

वकील अपीलाण्टस ने एक अपील विरूद्व नामा0 संख्या 2375 ग्राम पंचायत गोकुलपुरा के पेश की । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1187/304 , 303, किता 2 कुल रकबा 3.37 है0 एवं 1186/304 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम गोकुलपुरा में अवस्थित है। खसरा नम्बर 1187/304, 303 में 7/24 हिस्से का रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 7/24 हिस्से का रेस्पो0 संख्या 2 तथा 1/6 हिस्से का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

रामप्रताप पुत्र ताराचन्द एवं 1/4 हिस्से का महेन्द्र कुमार पुत्र बिहारीलाल काबिज काश्त रहे है। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपने संपूर्ण हिस्से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.4.2021 को अपीलाण्टस को विक्रय कर दिये । उक्त विक्रय पत्र के अनुसार पटवारी हल्का ने दिनांक 18.6.2021 को नामा0 दर्ज कर दिया एवं भू. अभिलेख निरीक्षक गोकुलपुरा ने पृविष्टियों की जांच कर ग्राम पंयायत गोकुलपुरा के समक्ष दिनांक 21.6.2021 को नामा0 तस्दीक हेतु पेश किया । परन्तु सरपंच एवं उसके पति ओमप्रकाश ने अपीलाण्ट से अनुचित मांग की जिनकी मांग पूर्ण नही किये जाने पर नामा0 संख्या 2375 को क्रेता– विक्रेता का कब्जा मौके पर नहीं होना अंकित कर खारिज कर दिया जो खिलाफ कानून है। ग्राम पंचायत ने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर चुनौतीग्रस्त आदेश पारित किया है । धारा 135(1) राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम के तहत यह आदेश पारित करने की शक्तियां ग्राम पंयायत को नही है। जिस प्रकार की फाईण्डिंग ग्राम पंयायत द्वारा दी गई है वह विवादित मामलों की श्रेणी में नहीं आती है। यदि कोई विवाद था तो ग्राम पंचायत को उक्त नामा0 तहसीलदार को प्रेषित किया जाना चाहिये था। परन्तु योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने उक्त नामा0 को खारिज कर दिया जिसका उन्हे क्षैत्राधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत से नकल लेने पर दिनांक 8.7.21 को प्रस्ताव संख्या 2 की नकल दी गई । उक्त प्रस्ताव में दिनांक 26.6.2021 होना अंकित किया है जबकि चुनौतीग्रस्त नामा0 का निर्णय दिनांक 21.6.2021 को ही कर दिया । उक्त प्रस्ताव में लिखा है कि मौके पर क्रेता एवं विक्रेता दोनों का ही कब्जा नहीं होने के अभाव में नामा0 सर्व सहमति से खारिज किया जाता है। यदि कब्जा नहीं था जो जिस समय विक्रेता ने भूमियों को क्रय किया उस समय नामा0 स्वीकृत कैसे हुआ। वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि नगर विकास न्यास के अधिकार क्षैत्र में आने के कारण सरपंच द्वारा नामा0 की आड़ में मोटी रकम ऐंठते है और नहीं देने पर नामा0 खारिज कर दिया जाता है। इस प्रकार उक्त नामा0 आदेश ग्राम पंचायत गोकुलपुरा क्षैत्राधिकार से बाहर होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा नामा0 सं0 2375 के संबंध में दिनांक 21.6.2021 को पारित नामा0 खारिजी का आदेश अपास्त किये जाने के आदेश पारित कर प्रकरण तहसीलदार सीकर को रिमाण्ड किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

अपील प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । रेस्पोडेण्टस को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया । जिस पर रेस्पोडेण्टस संख्या 1 व 2 की ओर से एड. राकेश ने वकालतनामा पेश किया । इनके द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)

Scanned with Oken Scanner

बहस वकील अपीलाण्टस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया । अपीलाण्टस द्वारा उक्त भूमि का जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र क्रय की गई है जो प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित है। रिकार्ड ग्राम पंचायत के अनुसार नामा0 संख्या 2375 ग्राम पंचायत गोकुलपुरा के द्वारा दिनांक 21.6.2021 को मौके पर क्रेता एवं विक्रेता का कब्जा नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया । उपर्युक्त दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्टस् द्वारा भूमि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार से जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र क्रय की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा मौके के कब्जे के आधार पर उक्त नामा0 खारिज कर दिया गया जबकि मौके पर काबिज व्यक्तियों द्वारा अपने हक अधिकार की उद्घोषणा के लिये सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोही किये जाने बाबत ग्राम पंचायत द्वारा अपने प्रस्ताव में कोई उल्लेख नहीं किया है । एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा विक्रीत की गई भूमि जो अपीलाण्टस् द्वारा उचित प्रतिफल देकर क्रय की गई है। बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अधिनस्थ ग्राम पंचायत को नामा0 खारिज करने का कानूनी अधिकार नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा नामा0 विधि विरूद्व खारिज किया गया है ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्टस प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर स्वीकार की जाकर नामा0 संख्या 2375/21.6.2021 ग्राम पंचायत गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर के आदेश को निरस्त किया जाता है । तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार मौके एवं रिकार्ड की जांच कर न्यायालय के स्थगन प्रभावी नहीं हो तो दोनों पक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विक्रयपत्र के आधार पर नियमानुसार नामा0 के निर्णयन की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 21/10/22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)

21/10

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर
उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner